Mr. Speaker: They are all either independents or supported by parties.

Shri S. M. Banerjee: This is unconstitutional.

Shri D. C. Sharma: Government are going to introduce commercial broadcasting in this state-controlled monopoly of broadcasting in the country. If commercial broadcasting is open to those firms who want to advertise their wares, will it not be open to all the political parties to sell their ideologies through that medium on some payment which may be fixed?

Shri G. S. Pathak: Commercial advertising does not relate to elections and I am not concerned with this question.

Shri Kandappan: It is presumptuous on the part of the Congress to assume that they will be returned in a majority next time and claim more time, but leaving that apart, my question is this. In that all-party meeting convened for this purpose, no invitation has been extended to the DMK. What is the criterion for inviting a Political Party for this purpose? At least in future will we be invited or not? Why have we not been invited this time?

Shri G. S. Pathak: The Election Commission asked seven parties so far as I am aware—I speak subject to correction—and recognises seven parties and the representatives of the seven parties participated in the discussion. It is not for me to say why any party has not been recognised. They may not qualify for recognition.

Shri Kandappan: On a point of order. Our party is a recognised party. That is why I am putting this question.

Mr. Speaker: He should take it up with the Election Commission.

Shri Kandappan: He has not answered.

Mr. Speaker: Next question.

अनाज की खेती

\+

*156. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री मलाईछामी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों द्वारा व्यापारिक फसलों की खेती में जो अधिक लाभप्रद हैं, अधिक रुचि लिए जाने के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से इस बात पर विचार किया है कि खेती योग्य कितनी भूमि को खाद्यान्नों की उपज के लिए नियत किया जाये और कितनी भूमि को अन्य कृषि-जन्य वस्तुओं की फसलों के लिए; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) खाद्यान्नों और अन्य फसलों की उपज के लिए खेती योग्य भूमि वितरित

करने की कोई योजना नहीं है। देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए खाद्यान्नों तथा कैश फसलों दोनों का उत्पादन जरूरी है और सघन पद्धतियों तथा अधिक उत्पादक किस्मों को अपना कर अधिकतम उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े हैं कि दस वर्ष पूर्व जितने एरिया में खाद्यान्नों की खेती होती थी उस में से कितना एरिया अब कैश क्राप्स में चला गया है? यदि हैं तो क्या सरकार उनको बतलाने की कृपा करेगी और यदि नहीं हैं तो इस किस्म के आंकड़े एकत्र करेगी?

श्री श्यामधर मिश्र : मेरे पास आंकड़े हैं। 1949-50 में नान फूड गिरेन्स क्राप्स के नीचे 72.7 मिलियन एकड़ का एरिया था। 1963 के अन्त तक जो लेटेस्ट फिगर्ज हमारे पास अवेलेबल हैं, 95 मिलियन एकड़ का एरिया था। यह कैश क्राप्स की बात मैंने कही है। जहां तक नान-कैश क्राप्स की बात है, 1949-50 में 248.7 मिलियन एकड़ यह था और 1963 के अन्त तक 292.3 मिलियन एकड़ था। इसके माने होते हैं कि दोनों में कैश क्राप्स में और फूड गिरेन्स क्राप्स में इनक्रीज हुआ है एक में करीब तीस परसेंट का हुआ है और दूसरे में करीब पन्द्रह परसेंट का हुआ है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरा प्रश्न दूसरा था। यह बढ़ा तो है, यह ठीक है। मैंने यह जानना चाहा था कि कितना एरिया कैश क्राप्स में चला गया है जिस में खाद्यान्न होते थे। इसके आंकड़े इनके पास हैं या नहीं हैं? यदि हैं तो इसके आंकड़े देने की कृपा करें।

श्री श्यामधर मिश्र : आंकड़े मैंने बता दिये हैं। दोनों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार दोनों का बढ़ना इकोनोमी के लिए जरूरी समझती है।

श्री म० ला० द्विवेदी : बढ़ना तो ठीक है। लेकिन—

अध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरा प्रश्न करें।

श्री म० ला० द्विवेदी : कैश क्राप्स में भविष्य में खाद्यान्न वाला क्षेत्र न जाए और खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक बढ़ सके, इसके लिए क्या सरकार कोई प्रयत्न करने जा रही है?

श्री श्यामधर मिश्र : प्रश्न उत्पादन का है न कि एरिया को इधर उधर बदलने का। दुर्भाग्यवश हमारे मुल्क की हालत यह है कि प्रति एकड़ पैदावार चाहे वह कैश क्राप्स की हो या फूड क्राप्स की हो, दोनों की कम है। यह आवश्यक है कि हमारे उद्योगों के लिए और खाने के लिए भी इन सब क्राप्स का उत्पादन बढ़े। जिन को कैश क्राप्स कहा जाता है जैसे शुगर केन है या आयल सीड्ज हैं वे भी कुछ कुछ फूड क्राप्स हैं। इसलिए दोनों की पर एकड़ यील्ड पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। कहीं-कहीं जैसे महाराष्ट्र में यह किया गया है कि शुगरकेन पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। उसको रेस्ट्रिक्शन भी नहीं कहा जा सकता है। उस में उन्होंने इरिगेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई है और कहा है कि हम पूरे तौर से पानी नहीं दे सकेंगे। इस वास्ते ऐसी बात नहीं है कि कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए। इसके बारे में जो भ्रम है वह दूर हो जाना चाहिये।

Shri P. C. Borooah: Fragmentation of land holdings, or in other words smallness of area, is one of the greatest obstacles in introducing modern scientific and technical system of cultivation for production of food. May I know whether Govern-

ment propose to amend the existing laws to prevent further fragmentation of holdings and consolidating them into economic units?

Shri Shyam Dhar Misra: As a matter of fact we have already worked out plans for consolidation in the second and third plans, and we are also proposing in the fourth plan, and consolidation proceedings are there in almost all the States. Therefore, our policy is to have consolidation of holdings.

Shri S. C. Samanta: Is it not a fact that crops like jute which earn so much foreign exchange for our country are grown in the eastern part of India and has the Central Government advised the State Governments to reduce the acreage there also? If not, what steps is the Government going to take to meet the deficit of the states in the eastern region?

Shri Shyam Dhar Misra: The figures that are before me do not indicate that areas under jute have gone down. As a matter of fact they have gone up during the last ten years by about 19 per cent. Sometimes the cultivators find it profitable to convert the paddy areas into jute but there is no policy as such for diversion from one to the other.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या सरकार को पता है या नहीं कि किसान खाद्यान्नों की पैदावार करने के लिए हतोत्साहित हो गया है कि उसको अपनी मेहनत और सब कुछ मिला कर पैदावार के दाम बहुत कम मिलते हैं ? क्या यह सही नहीं है कि उसको अपनी पैदावार के दाम कम मिलते हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : कुछ हद तक यह सही है । इस पर बराबर विचार हो रहा है। इसीलिए सरकार ने यह निश्चय किया है कि जो पालिसी हो वह फार्मर्ज को इंसेंटिव प्राइस देने की होनी चाहिये ।

1920(Ai)LSD—2.

श्री रामसेवक यादव : आज देश की खेती इंद्र और इन्दिरा के बीच चौपट हो रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं..... (**इंटरप्शंज**)

श्री मधु लिमये : हल्ला क्यों कर रहे हैं। इंद्र और इन्दिरा नहीं समझते हैं ? आप लोग कुछ तो साहित्यिक भाषा समझा करो (**इंटरप्शंज**)

Shri Yamuna Prasad Mandal: On a point of order. The way he has been referring to our Prime Minister simply as Indira is highly objectionable.

श्री मधु लिमये : इनसे नियम संख्या पूछी जाए ।

Mr. Speaker: There is no point of order. The manner in which he did it is not desirable; it should not have been put that way.

Shri G. N. Dixit: Sir, on a point of order under rule 41.

Mr. Speaker: I have already made my observations that it was not a desirable manner in which it has been put; it should not have been put like that.

Shri G. N. Dixit: Sir, this affair is looked after by rule 41(2). These words should be expunged because sub-rule (1) says that it shall not bring in any name or statement not strictly necessary to make the question intelligible. These words are not necessary to make the question intelligible and therefore these words and names should be evpunged.

श्री रामसेवक यादव : इंद्र प्रतीक है पानी और इन्दिरा प्रतीक है सरकार । यह समझना चाहिये इनको । इनको बुद्धि होनी चाहिये ।

श्री मधु लिमये : घोर कमी है उसकी ।

श्री रामसेवक यादव : इस देश की खेती इंद्र और इन्दिरा के बीच चौपट हो रही है । मैं जानना चाहता हूं कि छोटे किसानों को जिनके पास धन नहीं है, पानी नहीं है, उनको मुफ्त पानी देने और उनका लगान खत्म करने पर मंत्रालय विचार कर रहा है ताकि खेती की उपज बढ़ाई जा सके ।

श्री श्यामवर मिश्र : जहां तक किसानों को पानी की सुविधा देने का सवाल है इन पिछले पंद्रह वर्षों में करीब-करीब 35 मिलियन एकड़ पर और अधिक पानी दिया गया है । जहां तक उनको सस्ता या बिना पैसे लिये हुए पानी देने का सवाल है सरकार इसको नहीं मानती है क्योंकि प्रश्न यह नहीं है कि बिना पैसा पानी उनको मिले बल्कि प्रश्न यह है कि उनको पानी मिले । उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है । किसानों को माइनर इरिगेशन, मीडियम इरिगेशन और मेजर इरिगेशन प्राजैक्ट्स से जहां आज 90 मिलियन में पानी दिया जा रहा है वहां थ्री प्लान पीरियड में 55 मिलियन में ही दिया जाता था । चौथी योजना में करीब तीस मिलियन एकड़ और सिंचाई के लिए पानी देने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है ।

श्री रामसेवक यादव : लगान के बारे में नहीं बताया है ।

श्री श्यामवर मिश्र : लगान के बारे में ऐसी कोई सरकार की नीति नहीं है कि इसको खत्म कर दिया जाए । इसको खेती के लिए बाधक नहीं समझा जाता है ।

M/s. Bird & Co.

+

*157. **Shri Madhu Limaye:**
Shri Kishen Pattnayak:
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of Law be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 517 on the 18th August, 1966 and state:

(a) whether M/s. Bird and Co. and their associates had committed any violations of and offences against the Company Law;

(b) if so, whether any prosecution has been started against this firm and its associates; and

(c) the stage reached in this prosecution?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak): (a) As stated by the Minister in the Ministry of Finance in reply to Starred Question No. 517 the concerned companies have preferred appeals against the original adjudication order. The appeals are still pending. Facts which would constitute violations of the provisions of the Companies Act are in dispute and under scrutiny in those pending appeals. Hence, on disposal of those appeals and the facts found therein, it would be possible to ascertain if the company and their associates have committed any violation of and offences against the Company Law and to determine further necessary action.

(b) and (c). Do not arise.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह वादा नहीं किया था कि कस्टम के मामले में पंचों का, यानी एजुडिकेशन का, निर्णय आते ही आयकर तथा कम्पनी कानून का जो उल्लंघन हुआ है, उसके सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जायेगी; यदि हां, तो क्या आज यह कार्यवाही इसलिए नहीं की जा रही है कि चूंकि वर्तमान वित्त मंत्री अपने इस पद को ग्रहण करने से पहले इस बर्ड कंपनी के एसोशिएट फर्म के डायरेक्टर थे ?

अध्यक्ष महोदय : बार-बार इस तरह का आरोप लगाने की क्या जरूरत है कि चूंकि किसी शख्स का उससे ताल्लुक था इसलिए कार्यवाही नहीं की जा रही है ।